[2007] 8 S.C.R. 547 : 2007 INSC 786

इन्द्रदेव पासवान

बनाम

भारत संघ तथा अन्य

जुलाई 27, 2007

(जी0पी0 माथुर तथा पी0के0 बालसुब्रमण्यम, न्यायमूर्तिगण)

बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000

धारा 72 (2) - बिहार राज्य का द्विशाखन- सेवाओ का आवंटन- अपीलार्थी बिहार राज्य मे बतौर उप निदेशक कार्यरत - अपर निदेशक के पद के प्रोन्नति हेतु अनुशंसित- बिहार राज्य का पुर्नगठन - अपीलार्थी को अस्थायी रूप से अपर निदेशक के रूप मे झारखण्ड राज्य आवंटित किया गया - अधिकारियो को पुर्नगठित बिहार राज्य मे या झारखण्ड के नये बनाये गये राज्य मे सेवा करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए आहुत किया गया - अपीलार्थी ने झारखण्ड राज्य मे आवंटन हेतु चुना था - अपीलार्थी को पुर्नगठित बिहार राज्य आवंटित किया गया तथा इसके द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प को न स्वीकार करते हुए इसके विभाग के ज्येष्ठता सूची मे सं0 1 के रूप मे प्रदर्शित किया गया - बिहार राज्य मे आवंटन को चुनौती देने वाले अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया का औचित्य - अभिनिर्धारितः न्यायानुमोद्य क्योकि पुर्नगठित राज्य में अपीलार्थी के आवटन के मामले मे दुराशय या अतार्किकता का कोई मामला नही बनता है - नियुक्ति के दिन अविभाजित बिहार राज्य मे निदेशक का केवल एक पद था तथा यह पद स्थापित सन्नियमो के अनुसार पुर्नगठित बिहार राज्य को आवंटित किया गया था - अपीलार्थी जो ज्येष्ठतम व्यक्ति था को बिहार राज्य आवंटित किया गया था जिससे वह निदेशक के रूप में अपनी सम्यक् प्रोन्नति प्राप्त कर सके - इस प्रकार के आंवटन द्वारा कुछ भी अनुचित नही किया गया था -सेवा विधि

अपीलार्थी बिहार राज्य में उप निदेशक (खान) के रूप में कार्यरत था। 06.03.1997 को, इसे अपर निदेशक (खान) के रूप में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया गया था। डीपीसी ने अपर निदेशक (खाँन) के पद पर प्रोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम की सिफारिश किया था। अपीलार्थी ने स्वयं के प्रोन्नति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देते हुए परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका अनुज्ञात किया था तथा अधिकारियों को अपीलार्थी के मामले पर विचार करने का निदेश दिया था।

इस बीच बिहार राज्य बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन पुर्नगठित किया गया था। झारखण्ड राज्य बिहार राज्य से अलग जगह बनाया था तथा 15.11.2000 को दो पृथक राज्य अस्तित्व मे आए थे। केन्द्र सरकार ने 06.11.2000 को अस्थायी रूप से अपीलार्थी के सेवाओ का आवंटन झारखण्ड राज्य मे अपर निदेशक (खान) के रूप में किया गया था तथा इसने 14.11.2000 को कार्य भार सभाँला था।

बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 72 (2) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार को विशेष या सामान्य आदेश द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियुक्ति दिन के ठीक पहले बिहार राज्य के मामलो के संबंध मे कार्यरत था को उत्तरवर्ती राज्य सेवा हेतु तथा उस तिथि से अंतिम रूप से आवंटित किया जायेगा जिस तिथि से पुर्नगठन अधिनियम लागू होने के बाद यथाशीघ्र इस प्रकार का आवंटन लागू होना था। अधिनियम के निबंधनों के अनुसार नियुक्ति का दिन 15.11.2000 था। संवर्ग के विभाजन तथा पदो के आवंटन हेतु अपनाये गये स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारीगण, अधिकारियो को पुर्नगठित बिहार राज्य मे या नये बने झारखण्ड राज्य मे सेवा करने के लिए अपने विकल्पो को प्रस्तुत करने के लिए आहुत किया गया था। अपीलार्थी ने झारखण्ड राज्य को आवंटन हेतु चुना था। राज्य परामर्शदात्री समिति ने खान विभाग सहित विभिन्न विभागो मे कर्मचारियो के अस्थायी आवंटन सूची को तैयार किया था जिसमे अपीलार्थी को बिहार राज्य आवंटित किया गया था तथा इसके विभाग के ज्येष्ठता सूची मे सं0 1 के रूप मे प्रदर्शित किया गया था।

उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसरण मे, अपीलार्थी को बिहार राज्य द्वारा 21.06.1997 से अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नत किया गया था। अपीलार्थी को अंततः आदेश दिनांक 24.02.2005 द्वारा स्वयं द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प को स्वीकार न करते हुए पुर्नगठित बिहार राज्य को आवंटित किया गया था। इस आवंटन के अनुसरण मे, झारखण्ड राज्य ने अपीलार्थी को 10.05.2005 से अवमुक्त किया था।

व्यथित अपीलार्थी ने बिहार राज्य मे अपने आवंटन को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल किया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिट याचिका खारिज किया था कि संवर्ग खण्ड मे पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन मे हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नही बनता है। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत है।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि : 1, पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन के मामले मे दुराशय या अतार्किकता का कोई मामला नही बन रहा है। अपीलाथी जिले का मूल निवासी है जो पुर्नगठित बिहार राज्य का हिस्सा है। वह सुसंगत समय पर खॉन विभाग मे ज्येष्ठतम अधिकारी था। राज्य परामर्शदात्री समिति तथा बिहार एव झारखण्ड राज्यो के अनुसार नियुक्ति दिन को अविभाजित बिहार राज्य मे सम्पूर्ण सेवा मे खान निदेशक का मात्र एक पद था तथा यह पद स्थापित सन्नियमो के अनुसार पुर्नगठित बिहार राज्य को आवंटित किया जाना था। चूॅकि अपीलार्थी नियुक्ति दिन को उप निदेशक (खान) के संवर्ग मे ज्येष्ठतम व्यक्ति था तथा चूकि किसी व्यक्ति ने उस दिन को अपर निदेशक (खान) के प्रोन्नत पद या खान निदेशक का कार्यभार नही सभाँला था, अपीलार्थी को पुर्नगठित बिहार राज्य आवंटित किया जाना था जिससे इसे खान निदेशक के रूप में अपने सम्यक् प्रोन्नति को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठाया जा सके तथा प्राप्त कर सके। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के विकल्प पर विचार करने की गुजाइंश पैदा नही हुई थी, यदि नियुक्ति दिन को अपीलार्थी को झारखण्ड राज्य आवंटित किया गया था, इससे किसी और कनिष्ठ को खान के अपर निदेशक के पद तथा तत्पश्चात खान निदेशक के पद को धारण कराया गया होता तथा यह अपीलार्थी के साथ अन्याय होता तथा अनुचित होता। इस प्रकार, अपनाया गया आधार यह है कि अपीलार्थी के विकल्प को मामले के परिस्थितियो मे स्वीकार नही किया जा सकता है। इस प्रकार के आवंटन द्वारा कुछ भी गलत नही किया गया था।

(पैरा 5 तथा 8) (552-एच, 553-ए-डी, 554 जी-एच)

प्रकाश चन्द्र सिन्हा इत्यादि बनाम भारत संघ तथा अन्य (2003) 4 जे0 सी0 आर0, 165 पर भरोसा किया गया।

आर0एम0 रैमुअल बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य तथा अन्य (1989) 1 एससीसी 285, निर्दिष्ट किया गया।

2. राज्य परामर्शदात्री समिति ने स्थिति को स्पष्ट किया है कि क्यो अपीलार्थी को पुर्नगठित बिहार राज्य आवटित किया गया था तथा संदर्भ जिसमे झारखण्ड राज्य मे सेवा करने के इसके विकल्प को स्वीकार नही किया जा सका था। दिया गया कारण न केवल तार्किक है बल्कि संधार्य भी है।तथ्य कि अपीलाथी ने ऐसे क्षेत्रों में अपनी सेवा के 13 वर्ष तथा 6 माह मे से 7 वर्ष के अवधि तक कार्य किया था जो अब झारखण्ड राज्य का हिस्सा है इसका कोई महत्व नही है। क्योंकि, पहले बिहार राज्य मे अधिकांश खान उन क्षेत्रो मे है जो अब झारखण्ड मे

जा चुका है। इसलिए, यह तथ्य स्वयं यह दावा करने का कोई अधिकार अपीलार्थी को नही देता है कि इसके पास पुर्नगठित झारखण्ड राज्य आवंटित किये जाने का अधिकार था।

(पैरा 10) (555-जी-एच, 556-ए-बी)

3. बिहार राज्य मे अपीलार्थी का आवंटन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानो तथा बिहार राज्य के पुर्नगठन के बाद सेवाओ के द्विशासन हेतु अपनाये गये सिद्धान्तों पर आधारित है। वास्तव मे, यदि अपीलार्थी को झारखण्ड राज्य आवंटित किया गया था, वह विधि सम्मत तरीके से यह दावा उठा सकता था कि बिहार राज्य को दिये गये तथा उपलब्ध खान निदेशक के एक मात्र पद के सम्बन्ध मे प्रोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिए इसकी हकदारी प्रभावित होगी तथा झारखण्ड राज्य मे इसके आवंटन ने इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। झारखण्ड राज्य के पास नियुक्ति दिन को खान निदेशक का पद नही था तथा अपीलार्थी इसके लिए विचार किये जाने के योग्य सेवा मे ज्येष्ठतम सदस्य था। वर्तमान मामले मे, भले ही अपर निदेशक (खान) के रूप मे अपीलार्थी के प्रोन्नति को ध्यान मे रखा जाता है, इसका एक मात्र यह मतलब होगा कि वह पुर्नगठित बिहार राज्य को आवंटित पद तथा नियुक्ति दिन को झारखण्ड राज्य मे पद जो उपलब्ध नही है, खान निदेशक के पद का ज्येष्ठतम प्रार्थी होगा। इसलिए, पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन के मामले मे अपने अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के लिए कोई कारण उत्पन्न नही हुआ है ।

(पैरा 11) (556-सी-एफ)

डा0 राजैया राज तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1973) 1 एससीसी 61 तथा मोहम्मद शहाबुद्दीन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1975) 4 एससीसी 203, निर्दिष्ट।

4. राज्य को 20.11.2000 से पुर्नगठित किया गया था। इस विभाग से संबंधित आवंटन के अंतिम सूची को प्रकाशित करने के लिए भारत संघ ने लगभग पाँच वर्ष का समय लिया था। मामले मे पाये गये हस्तक्षेप हेतु किसी स्पष्ट आधार के अभाव मे, मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी ने झारखण्ड राज्य में जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बिहार राज्य आवंटित किया गया था, आवंटन के आदेश मे हस्तक्षेप करना आवश्यक या उचित प्रतीत नही होता है। (पैरा 12) (557-ए-बी)

5. बिहार राज्य ने तत्पश्चात् अपीलार्थी को अवगत कराया था कि इसे खान तथा भूविज्ञान विभाग द्वारा खान के अपर निदेशक के पद पर नियमित प्रोन्नति दिया गया था तथा

यह कि वह इस पद को सभॉल सकता था। इसलिए पुर्नगठित बिहार राज्य मे इसके द्वारा धारण किये जाने वाले पद के संबंध मे भी अपीलार्थी द्वारा शिकायत करने का कोई कारण विद्यमान नही है। पुर्नगठित बिहार राज्य मे सेवा से न जुड़ने, अंतिम आवंटन के अनुसरण मे 10.05.2005 को झारखण्ड राज्य से अवमुक्त किये जाने के बावजूद अपीलार्थी के परिणामों पर विचार करना या टिप्पणी करना आवश्यक नही है।

(पैरा 12) (557-बी-डी)

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं0 3307 वर्ष 2007

एल.पी.ए. सं0 137 वर्ष 2006 मे झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के निर्णय तथा आदेश 07.09.2006 से

रवीन्द्र श्रीवास्तव, मनीष कुमार सरण तथा अजित कुमार सिन्हा अपीलार्थी के अधिवक्तागण।

बी दत्ता, एएसजी, रजनी ओहरी, पी परमेश्वरन, मोहित कुमार शाँह, गोपाल सिंह, अनुकूल राज, रितुराज विश्वास रतन कुमार चौधरी तथा विनोद के उपाध्याय, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी0 के0 बालसुब्रम्णयम,

न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया। 1. अनुमति मंजूर की जाती है।

2. अपीलार्थी को आरम्भ मे 21.06.1983 को बिहार राज्य मे जिला खनन अधिकारी के रूप मे नियुक्त कियो गया था। 21.03.1993 को इसे बिहार राज्य मे उप निदेशक (खान) के पद पर प्रोन्नत किया गया था। इसके अनुसार, 06.03.1997 को इसे अपर निदेशक (खान) के रूप मे स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी का आगे मामला यह है कि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक 02.06.1998 को हुई थी तथा अपीलार्थी के मामले को अपर निदेशक (खान) के पद पर प्रोन्नति हेतु सिफारिश किया था। अपीलार्थी ने स्वयं के प्रोन्नति के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए संबंधित प्राधिकारी, इसमे प्रत्यर्थी को निर्देशित करते हुए परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करते हुए पटना उच्च न्यायालय मे सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 5871 वर्ष 1998 दाखिल किया था। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.04.1999 द्वारा रिट याचिका अनुज्ञात किया था तथा निर्णय की तिथि से तीन सप्ताह के अवधि के अन्दर प्रोन्नति हेतु अपीलार्थी के मामले पर विचार करने के लिए इसमे प्रत्यर्थी को निदेश जारी किया था। इस बीच, बिहार राज्य को बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत

पुर्नगठित किया गया था। झारखण्ड राज्य से अलग जगह बनाया था तथा 15.11.2000 को दो अलग-अलग राज्य अस्तित्व में आए थे। अधिनियम के लागू होने तथा अधिनियम द्वारा अपनाये गये स्कीम के अनुसार राज्य के द्विशाखन का पूर्वानुमान करते हुए, केन्द्र सरकार ने 06.11.2000 को अनंतिम रूप से अपीलार्थी के सेवाओ का आवंटन झारखण्ड राज्य मे अपर निदेशक (खान) के रूप मे किया था। अपीलार्थी के अनुसार इसने 14.11.2000 को झारखण्ड राज्य के अपर निदेशक (खान) का पद भार सभालाँ था।

3. बिहार पुर्नगठन अधिनियम बिहार के अविभाजित राज्य की सेवा मे विभिन्न संवर्ग के विभाजन का उपबंध करता है। अधिनियम की धारा 72 (2) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार को विशेष या सामान्य आदेश द्वारा उत्तरवर्ती राज्य जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, जो नियुक्ति दिन के ठीक पहले बिहार राज्य के मामलो के संबंध मे कार्यरत था सेवा हेतु अंतिम रूप से आवंटित किया जाएगा तथा तिथि जब से इस प्रकार का आवंटन पुर्नगठन अधिनियम के लागू होने के बाद यथा संभव शीघ्र प्रभावी हुआ था तय करना था। अधिनियम के निबंधनो के अनुसार नियत दिन 15.11.2000 था। संवर्ग के विभाजन तथा पद एवं कार्मिक के आवंटन हेतु अपनाये गये स्कीम के अन्तर्गत अधिकारियों को पुर्नगठित बिहार राज्य मे या झारखण्ड के नये बनाये गये राज्य मे सेवा करने के लिए अपने विकल्पो को प्रस्तुत करने के लिए आहुत किया गया था। इस प्रकार के विकल्पो को मांगते हुए केन्द्र सरकार द्वारा पत्रो की जारी किया गया था। अपीलार्थी ने यह संकेत देते हुए अपना विकल्प दिया था कि वह झारखण्ड राज्य मे आवंटन पसंद करेगा। इस प्रयोजन हेतु सृजित राज्य परामर्शदात्री समिति ने खान विभाग सहित विभिन्न विभागो मे कर्मचारियो के अनंतिम आवंटन सूची को तैयार किया था। इसमे, अपीलार्थी को बिहार राज्य आवंटित किया गया था तथा इसके विभाग के ज्येष्ठता सूची मे सं0 1 पर दिखाया गया था। अनंतिम आवंटन सूची दिनांक 08.08.2001 के प्रकाशन के बाद राज्य परामर्शदात्री समिति ने इसके संबंध में आपत्तियाँ माँगा था। अपीलार्थी ने झारखण्ड राज्य मे आवंटन किये जाने के अपने वरीयता को दोहराते हुए आक्षेप दिनांक 03.10.2002 प्रस्तुत किया था।

4. इस बीच, उच्च न्यायालय के मूल निदेश तथा इस निमित्त जारी आगे के निदेश के अनुसरण मे, अपीलार्थी को 21.06.1997 से अपर निदेशक के पद पर बिहार राज्य द्वारा प्रोन्नत किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार 29.06.2021 को, इसे झारखण्ड राज्य मे निदेशक (खान) भार साधक के रूप मे पदस्थ किया गया था। अंतिम आवंटन सूची मे अपीलार्थी को इसके द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प को स्वीकार न करते हुए अंततः पुर्नगठित बिहार राज्य आवंटित किया

गया था। यह आदेश दिनांक 24.02.2005 द्वारा था। पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के इस आवंटन के अनुसरण मे, झारखण्ड राज्य ने अपीलार्थी को 10.05.2005 से अवमुक्त किया था। इससे व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी का आवंटन करने वाले आदेश दिनाक 24.02.2005 को चुनौती देते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची मे रिट याचिका (सी) सं0 445 वर्ष 2006 दाखिल किया था। यह देखा जाता है कि रिट याचिका को आदेश के लगभग एक वर्ष बाद जनवरी 2006 मे दाखिल किया गया था। उच्च न्यायालय ने, निर्णय दिनांक 31.01.2006 द्वारा इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका को खारिज किया था कि संवर्ग विभाजन मे पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन मे हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नही बनता है। व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष अपील दाखिल किया था। खण्डपीठ ने, संभाव्यतः संवर्ग विभाजन से संबंधित राज्य परामर्शदात्री समिति को अपीलीय प्रक्रम पर रिट याचिका का उत्तर देने के लिए शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया था। तत्पश्चात्, सुसंगत पहलूओ पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने एकल न्यायमूर्ति के निर्णय मे या स्वयं पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन मे हस्तक्षेप करने का कोई कारण न पाते हुए अपीलार्थी के अपील को खारिज किया था। इस प्रकार अपने रिट याचिका के खारिजा से व्यथित महसूस करते हुए अपीलार्थी इस अपील के साथ इस न्यायालय मे आया है।

5. यह देखा गया है कि अपीलार्थी जिले का मूल निवासी है जो पुर्नगठित बिहार राज्य का हिस्सा है। यह भी देखा गया है कि अपीलार्थी सुसंगत समय पर खान विभाग मे ज्येष्ठतम अधिकारी था। राज्य परामर्शदात्री समिति तथा बिहार एवं झारखण्ड राज्यो के अनुसार नियत दिन को अविभाजित बिहार राज्य मे सम्पूर्ण सेवा मे खान निदेशक का मात्र एक पद था इस पद को स्थापित सन्नियमो के अनूसार पुर्नगठित बिहार राज्य को आवंटित किया जाना था। चूकि अपीलार्थी नियत दिन को उप निदेशक (खान) के संवर्ग मे ज्येष्ठतम व्यक्ति था तथा चूकि किसी व्यक्ति ने उस दिन को अपर निदेशक (खान) या खान निदेशक के प्रोन्नति संबंधी पद का कार्यभार नही सभॉला था, अपीलार्थी को पुर्नगठित बिहार राज्य आवंटित किया जाना था जिससे वह खान निदेशक के रूप मे ऊपर उठ सके तथा अपनी सम्यक् प्रोन्नति प्राप्त कर सके। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी के विकल्प पर विचार करने का कोई कारण पैदा नही हुआ था चूकि यदि नियत दिन को, अपीलार्थी को झारखण्ड राज्य आवंटित किया गया था, इसके किसी कनिष्ठ को उप निदेशक खान तथा तत्पश्चात् खान निदेशक के पद को धारण करने के

लिए प्रोन्नत किया जा सकता था तथा यह अपीलार्थी के साथ अन्याय होता तथा अनुचित होता। इस प्रकार अपनाया गया आधार यह है कि अपीलार्थी के विकल्प को मामले के परिस्थितियो मे स्वीकार नही किया जा सकता है। इस प्रकार के आवंटन द्वारा कुछ भी गलत नही किया गया है।

6. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का आवंटन इस निमित्त अधिकथित समुचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया था तथा यह कि पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन मे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही बना था। जहां तक अपीलार्थी के दावा का संबंध है कि उप निदेशक (खान) के रूप मे इसके पद पर विचार किया गया है जब इसे वास्तव में अपर निदेशक के रूप मे भूतलक्षी प्रभाव से तैनात किया गया था, विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने संप्रेक्षित किया था सक्षम अधिकारी के जानकारी मे इस पहलू को लाना तथा इसका सुधार करवाना अपीलार्थी का काम था तथा स्वयं आवंटन मे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही था। खण्डपीठ ने अपील मे, प्रति शपथ पत्र मे लिये गये आधार को जानने के बाद तथा उच्च न्यायालय मे पहले अधिकथित सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कि आवंटन मे हस्तक्षेप क्रमिक तथा मात्र पूर्णतया स्पष्ट आधारो पर किया जाना चाहिए, अभिनिर्धारित किया कि पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन मे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही बनता है तथा यह कि इसके विकल्प का नामंजूर किया जाना मनमाना या अयुक्तियुक्त नही है। पुर्नगठित बिहार राज्य मे सेवा मे अपने सम्यक् स्थान का दावा करने के अपीलार्थी के संबंध मे विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा अनुदत्त स्वतंत्रता को ध्यान मे रखते हुए खण्डपीठ ने अपील को खारिज किया था।

7. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुर्नगठित बिहार राज्य मे इसके आवंटन का आदेश दण्डात्मक पाया गया है क्योंकि इसने इसके सेवा शर्तो को परिवर्तित किया था क्योकि 21.06.1997 से अपर निदेशक के रूप मे स्थानापन्न था यद्यपि इस निमित्त आदेश मात्र 17.11.2003 को पारित किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवंटन राज्य परामर्शदात्री समिति द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग न किये जाने से संदूषित था। आवंटन के मामले में जारी दिशा निदेशों का उल्लंघन किया गया था। उच्च न्यायालय ने मात्र प्रकाश चन्द्र सिन्हा इत्यादि बनाम भारत संघ तथा अन्य (2003) 4 जे0सी0आर0 165 मे इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय के बारे मे गलत फहमी के आधार पर हस्तक्षेप करने से इंकार किया है। इन तर्को का खण्डन यह बताते हुए प्रत्यर्थीगण की ओर से किया गया है कि अपीलार्थी खान विभाग

मे ज्येष्ठतम था, इसके सम्यक् स्थान को दिया गया था तथा वास्तव मे इसे वर्गीकृत सूची मे सं0 1 के रूप मे अपने पद को बचाना था तथा इसके प्रोन्नति के संभावनाओं, नियत दिन को खान निदेशक के एक मात्र पद के उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कि इसे पुर्नगठित बिहार राज्य आवंटित किया गया था तथा आवंटन के आदेश के दण्डात्मक होने का कोई प्रश्न नही था जैसा तर्क दिया गया है। लिपिबद्ध सन्नियमो तथा जारी दिशा निदेशो का सम्यक् पालन किया गया था तथा दिशा निर्देश के अननुपालन के आधार पर या मस्तिष्क के प्रयोग न किये जाने के आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही था। प्रकाश चन्द्र सिन्हा के मामले मे, उच्च न्यायालय ने अधिकथित किया था कि जब तक न्यायालय स्पष्ट अवैधता या प्रक्रियात्मक अयुक्तियुक्तता के आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नही होता है, न्यायालय को विभिन्न सेवाओ मे कर्मचारियो का आवंटन यथावत छोड़ देना चाहिए तथा यह कि व्यक्तिगत शिकायतों की स्वीकृति, जब तक स्पष्ट मामला नही बनता है, इसे कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया बना देगा तथा यह पुर्नगठित राज्यो या कर्मचारियों के हित में नही होगा तथा इस मानदंड की अवज्ञा करते हुए उच्च न्यायालय पुर्नगठित बिहार राज्य में अपीलार्थी के आवंटन मे हस्तक्षेप न करने मे वर्तमान मामले मे न्याय संगत था। यह भी निवेदन किया गया है कि फिर भी, अपीलार्थी पुर्नगठित बिहार राज्य मे जिला का मूल निवासी था तथा वह अविभाजित बिहार राज्य मे भी खान विभाग मे ज्येष्ठतम था तथा पुर्नगठित बिहार राज्य मे ऐसा बना है तथा एक मात्र बिहार राज्य मे उपलब्ध नियत दिन को खान निदेशक का एक मात्र पद अपीलार्थी के पहुँच मे था तथा इसे झारखण्ड राज्य मे आवंटित करते हुए प्रोन्नति के संभावना से वंचित नही किया जा सकता है जिसके पास नियत दिन को खान निदेशक का पद नही था।

8. हम तुरन्त यह उल्लेख कर सकते है कि पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन के मामले मे दुराशय या अतार्किकता का कोई मामला नही बन रहा है। मामले को केवल अपीलार्थी के विकल्प के गैर स्वीकृति तथा इसके नामंजूरी हेतु आधारो पर हमले के आधार पर बैठाया गया है।

9. अपीलार्थी की ओर से प्रमुख तर्क यह है कि अपीलार्थी ने उन क्षेत्रो मे जो अब झारखण्ड राज्य का हिस्सा बना है विभाग मे अपने अधिकांश कार्यकाल मे कार्य किया था, यह कि अपीलार्थी ने झारखण्ड राज्य मे आवंटित किये जाने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया था, यह कि अपीलार्थी को भार साधक निदेशक (खान) झारखण्ड के रूप मे तैनात किया गया था, पद जिसे द्विशाखन के बाद सृजित किया गया था एवं नियत दिन तथा परिस्थितियो मे

अपीलार्थी द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प को स्वीकार किया जाना चाहिए था। यह भी निवेदन किया गया है कि सुसंगत तिथि नियत तिथि नही थी तथा यह कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेश के पश्चातवर्ती गतिविधियो तथा नियत दिन के एक दिन पहले से अपर निदेशक के रूप मे अपीलार्थी को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नत करने वाले बिहार राज्य द्वारा पारित आदेश को ध्यान मे रखा जाना चाहिए था। भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के प्रभाव की अनदेखी नही की जा सकती है। आर0 एम0 रैमुअल बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य तथा अन्य (1989) 1. एस0सी0सी0 285 मे निर्णय पर भरोसा स्थिति का समर्थन करने के रूप मे किया गया है कि राज्य परामर्शदात्री समिति तथा केन्द्र सरकार पश्चातवर्ती गतिविधि को ध्यान मे रखने के लिए बाध्य था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये निर्णय का परिशीलन करने के बाद, हम पाते है कि यह परस्पर ज्येष्ठता के प्रश्न से संबंधित था तथा इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966 की धारा 82 (6) के अन्तर्गत नियत दिन के ठीक पहले लागू सेवा शर्तो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अधिकारी के परिस्थिति से भिन्न नही हो सकता था। त्रुटि को सुधारते हुए पारित आदेश सेवा शर्तो पर प्रतिकूल प्रभाव नही डाला था तथा इसलिए केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक नही थी। उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया गया था तथा संशोधित ज्येष्ठता सूची को पुर्नस्थापित किया गया था। पुर्नस्थापित ज्येष्ठता को ध्यान मे रखा जाना चाहिए था। हम स्थिति हेतु प्रमाण के रूप मे इस निर्णय को नही समझ सकते है कि पुर्नगठन के मामले में जैसा बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत अर्न्तवलित है, द्विशाखन तथा आवंटन हेतु सुसंगत तिथि नियत तिथि नही है। इस तर्क को स्वीकार किया जाना कि विभिन्न व्यक्तिगत मामलो में पश्चातवर्ती घटनाओ को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है का मतलब होगा कि द्विशाखन कभी भी अंतिम नही होगा या कम से कम कई वर्षो तक अंतिम नही होगा, परिस्थितियाँ जिससे न्यायालय या किसी कार्यपालक को यथा संभव बचना चाहिए।

10. कहाँ, राज्य परामर्शदात्री समिति ने इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि क्यो अपीलार्थी को पुर्नगठित बिहार राज्य आवंटित किया जाना था तथा आवंटित किया गया था तथा संदर्भ जिसमे इसके झारखण्ड राज्य मे सेवा करने के विकल्प को स्वीकार नही किया जा सकता है। हम पाते है कि दिया गया कारण न केवल तार्किक है बल्कि संधार्य भी है। तथ्य कि अपीलार्थी ने उन क्षेत्रो मे अपनी सेवा के 13 वर्ष तथा 6 माह मे से 7 वर्ष के अवधि तक कार्य किया था जब अब झारखण्ड राज्य का हिस्सा बना है कोई महत्व नही है। क्योकि पहले बिहार राज्य मे

अधिकांश खाने उन क्षेत्रो मे हैं जो अब झारखण्ड मे जा चुका है। इसलिए, यह तथ्य अपीलार्थी को यह दावा करने का कोई अधिकार नही देता है कि इसके पास पुर्नगठित झारखण्ड राज्य मे आवंटित किये जाने का अधिकार था।

11. डी. राजैया राज तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1973) 1 एससीसी 61 तथा मोहम्मद शहाबुद्दीन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1975) 4 एससीसी 203 मे निर्णयो पर भरोसा रखने वाले विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर बल दिया है कि इस प्रकार के आदेश की न्यायिकतः पुनर्विलोकन करने की न्यायालय की शक्ति को छीना नही गया है तथा यह कि चूकि केन्द्र सरकार के पास पुनर्विलोकन की शक्ति है, यह न्यायालय हमेशा अपीलार्थी के मामले के बारे मे स्वयं द्वारा पुनर्विचार करने का निदेश दे सकता है। जैसा हमने बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन को अधिनियम के सुसंगत प्रावधानो तथा बिहार राज्य के पुर्नगठन पर सेवाओ के द्विशाखन हेतु अपनाये गये सिद्धांतो पर आधारित होना पाया है, इस तर्क पर कुछ भी निर्भर नही है। वास्तव मे, हम यह विचार करने के लिए प्रवृत्त है कि यदि अपीलार्थी को झारखण्ड राज्य आवंटित किया गया था, वह विधि सम्मत तरीके से यह दावा उठा सकता था कि बिहार राज्य मे आवंटित तथा उपलब्ध खान निदेशक के एक मात्र पद के लिए प्रोन्नति हेतु विचार किये जाने की इसकी हकदारी प्रभावित होगी तथा झारखण्ड राज्य मे इसके आवंटन ने इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हमने पहले ही अभिनिर्धारित किया है कि सुसंगत तिथि दो राज्यो के अस्तित्व मे आने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत नियत दिन है तथा इस आधार पर झारखण्ड राज्य के पास नियत दिन को खान निदेशक का पद नही था तथा अपीलार्थी इसके लिए विचार किये जाने योग्य सेवा मे ज्येष्ठतम सदस्य था। वर्तमान मामले में, भले ही अपर निदेशक (खान) के रूप में अपीलार्थी के भूतलक्षी प्रोन्नति को ध्यान मे रखा जाता है, इसका केवल यह मतलब होगा कि वह पुर्नगठित बिहार राज्य मे आवंटित पद खान निदेशक के पद तथा नियत दिन को झारखण्ड राज्य मे पद जो उपलब्ध नही है का ज्येष्ठतम प्रार्थी होगा। इसलिए हमे समाधान है कि पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन के मामले मे न्यायालय द्वारा अपने अधिकारिता का प्रयोग करने का कोई कारण नही बनता है। हमारे विचार मे अधिनियम की धारा 73 पर आधारित तर्क वास्तव मे पुर्नगठित बिहार राज्य मे अपीलार्थी के आवंटन का समर्थन करेगा। इसलिए, हमे समाधान है कि अपीलार्थी यह साबित करने मे असफल है कि सेवा के द्विशाखन हेतु अधिनियम किसी प्रावधानो या इस निमित्त निर्दिष्ट सन्नियमो का उल्लंघन अपीलार्थी को पुर्नगठित बिहार राज्य आवंटित करते समय किया गया है।

12. हम उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश चन्द्र सिन्हा (ऊपर) मे अपनाये गये सिद्धान्त को स्वीकार न करने का कोई कारण नही देखते है कि आवंटन मे हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए जहाँ प्रयोग किये गये विकल्पो के गैर स्वीकृति से संबंधित व्यक्तिगत शिकायते हो जब तक स्पष्ट अवैधता या प्रक्रियात्मक अयुक्तियुक्तता साबित न हो। राज्य का पुर्नगठन 20.11.2000 से किया गया था। हम वर्ष 2007 मे है। इस विभाग से संबंधित आवंटन के अंतिम सूची को प्रकाशित करने मे भारत संघ ने लगभग पाँच वर्ष का समय लिया था। मामले मे पाये गये हस्तक्षेप के लिए किसी स्पष्ट आधार के अभाव में, मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी ने झारखण्ड राज्य में जाने का विकल्प चुना था लेकिन बिहार राज्य आवंटित किया गया था, आवंटन के आदेश मे हस्तक्षेप करना आवश्यक या उचित प्रतीत नही होता है। हमारे जानकारी मे लाया गया है कि बिहार राज्य ने तत्पश्चात् अपीलार्थी को सूचित किया था कि इसे खान तथा भूविज्ञान विभाग द्वारा अपर निदेशक खान के पद पर नियमित प्रोन्नति दिया गया हे तथा वह इस पद का कार्यभार सभालँ सकता है। इसलिए पुर्नगठित बिहार राज्य मे इसके द्वारा धारण किये जाने वाले पद के संबंध मे भी अपीलार्थी द्वारा शिकायत करने का कोई कारण विद्यमान नही है। अंतिम आवंटन जहाँ पुर्नगठित बिहार राज्य मे पद ग्रहण नही किया गया है के अनुसरण मे 10.05.2005 को झारखण्ड राज्य से अवमुक्त किये जाने का बावजूद अपीलार्थी के परिणामो पर विचार करना या टिप्पणी करना हमारे लिए आवश्यक नही है। यह कहना पर्याप्त है कि इस अपील मे हम उच्च न्यायालय के निर्णय मे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही देखते है।

13. इसलिए हम उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते है तथा इस अपील को खर्चो के साथ खारिज करते है।

अपील खारिज

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)

This is certify that these are true and correct HIndi translated copies of judgement of PDF files available in eSCR. If any discrepancy is found at later stage. I shall be soely responsible for it.